AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित दिनांक-10-09-2024

आदेश पारित दिनांक-09-12-2024

मामला संख्या: WPS No. 8363/2022

1- विजय कुमार जोल्हे (अनुसूचित जाति), पिता- स्व. मुरली राम जोल्हे, उम्र-52 साल, पूर्व सदस्य, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा, निवासी-वत्सल्य बालाजी मंदिर के पास, आनंद नगर रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)

----------याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी,

2- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, विधि, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

----------उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए - श्री बिदया नंद मिश्रा, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रं-01 के लिए - श्री सुमेश बजाज अधिवक्ता ।

राज्य के लिए - श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता ।

माननीय श्री नरेन्द्र कुमार व्यास. जज

CAV आदेश

1. याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को आदेश दिनांक 24.10.2018 को चुनौती देते हुए दायर किया है, जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 1 की सिफारिश पर उतरवादी क्रमांक 2 ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी।

2. अभिलेख से प्राप्त संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

A. याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं। सामान्य उम्मीदवारों के समकक्ष प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, याचिकाकर्ता को सीधे जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (c) के तहत किया गया था। उन्हें आदेश क्रमांक 1123/Confdl./2014/II-2-1/2014/बिलासपुर, दिनांक 30.10.2014 के माध्यम से रायपुर में VIII अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ किया गया। इस नियुक्ति पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 31.10.2014 को रायपुर में पदभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें उपर्युक्त रिट याचिका के संबंध में दिनांक 07 अप्रैल 2006 को अधिसूचित नियम (सूचना क्रमांक F.No.2985/943/21-B/C.G.) के नियम 9 उप-नियम (1), (2), (3) एवं (4) के तहत शासित थीं, जिसमें परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की निर्धारित थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

B. सेवा के पहले वर्ष की समाप्ति पर, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) तैयार की गई, जिसमें सामान्य मूल्यांकन के साथ याचिकाकर्ता को समग्र ग्रेड "C" प्रदान किया गया, जिसकी सूचना माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 873/Confdl./2014-15/2015 दिनांक 30.09.2015 के माध्यम से दी गई। इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि "सलाहकार टिप्पणियों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत न करें।" हालांकि, माननीय रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने इसे हानिकारक

स्थिति के रूप में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अधिक सतर्कता बरतने का निर्णय लिया।

C. इसके बाद, याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2015-16 की सेवा समाप्ति पर पुनः ग्रेड "C" प्रदान किया गया, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा DO क्रमांक 235/C.R.2015-2016/Confdl./2017 दिनांक 21.02.2017 के माध्यम से दी गई। इस DO पत्र में माननीय जिला न्यायाधीश की टिप्पणी भी शामिल थी, जिसमें उल्लेख किया गया था:

"ईमानदारी - अफवाहें सुनी गईं, लेकिन पुष्टि नहीं हुई..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

D. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से उद्धृत परामर्शात्मक टिप्पणियाँ DO पत्र क्रमांक 754/C.R.2016-2017/Confdl./2018 दिनांक 25.06.2018 के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से प्राप्त हुई। इसमें निर्देश दिया गया था कि यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हो, तो उसे इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त दिनांक 25/06/2018 के रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय के DO पत्र में निहित परामर्शात्मक टिप्पणियाँ तथा उनके संदर्भ में वास्तविक स्थिति का विवरण निम्नलिखित रूप से मामले के तथ्यों की क्रमवार व्याख्या में प्रस्तुत किया गया है।

E. याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.07.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) के माध्यम से अपना विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया और अंततः उन्हें आदेश दिनांक 24.10.2018 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 ने प्रत्युत्तर दाखिल कर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान याचिका 22.11.2022 को दायर की गई है, जबकि याचिकाकर्ता की सेवा 24.10.2018 को समाप्त कर दी गई थी। अतः, यह याचिका 4 वर्षों की देरी के बाद दायर की गई है, जिसके कारण विलंब और निष्क्रियता के आधार पर इसे खारिज किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब 4 वर्षों की अत्यधिक देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत, उत्तरवादी ने अपने उत्तर के कंडिका 7 में उल्लेख किया है कि याचिका दायर करने में कोई देरी नहीं हुई है। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि रिपोर्टिंग प्राधिकारी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है, जिनमें मात्रात्मक कार्य / निपटान, विधिक सहायता /लोक अदालत में प्रदर्शन, ज्ञान का स्तर, प्रबंधन क्षमता, बार और स्टाफ के साथ संबंध जैसे कई न्यायिक और प्रशासनिक पहलू शामिल होते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा परिशिष्ट P-9 (Annexure P-9) पर की गई निर्भरता गलत है, क्योंकि यह परिपत्र (Circular) स्वयं स्पष्ट करता है कि नियुक्ति के बाद पहले 2 वर्षों तक ही नए नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 1 यूनिट कम होने की छूट दी जाती है। याचिकाकर्ता ने 31.10.2014 को सेवा में प्रवेश किया था। छत्तीसगढ़ न्यायिक अधिकारी (गोपनीय रिपोर्ट) विनियम, 2015 के विनियम 5(1) के अनुसार, किसी भी न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (A.C.R.) वित्तीय वर्ष के आधार पर लिखी जाती है, अर्थात् अप्रैल से मार्च तक। इस प्रकार, याचिकाकर्ता परिशिष्ट P-9 के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का दावा केवल 31.10.2014 से 31.03.2015 (पहला वित्तीय वर्ष) और 01.04.2015 से 31.03.2016 (दूसरा वित्तीय वर्ष) तक कर सकता था, न कि उसके बाद। परिशिष्ट P-6 और P-7 में उल्लिखित A.C.R. अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की है, इसलिए परिशिष्ट P-9 पर याचिकाकर्ता की निर्भरता अनुचित है। यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले की किसी भी A.C.R. पर याचिकाकर्ता ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान याचिकाकर्ता को उचित रूप से सही श्रेणी में रखा गया, क्योंकि उसकी औसत दैनिक यूनिट 5.65 थी। अंतिमतः, सम्मानपूर्वक यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विधिवत विचार किया गया और स्थायी समिति (Standing Committee) द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। अतः, उत्तरवादी ने वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है।

4. उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उत्तर दाखिल करते हुए तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में मुख्य विवादित पक्ष उत्तरवादी क्रमांक 1 है। उन्होंने उत्तरवादी क्रमांक 1 की सिफारिश पर कार्य किया, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः, याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अवैधता या अनियमितता नहीं की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर (Rejoinder) दाखिल करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि यह याचिका इसलिए दायर की गई क्योंकि एकल पीठ (Single Bench) द्वारा WPS क्रमांक 825/2022 में दिनांक 13.05.2022 को निर्णय पारित किया गया था और रिट अपील 16.06.2022 को निपटाई गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता का मामला गणेश राम बर्मन के मामले के समान है और दोनों न्यायिक अधिकारी समान परिस्थितियों में थे, इसलिए वह भी समान राहत का दावा कर रहे हैं। अतः, याचिका को परिसीमा (Limitation) के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया कि परिसीमा का मुद्दा पहले ही माननीय खंडपीठ (Division Bench) द्वारा **कृष्ण कुमार कोसारिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (Writ Appeal No. 450/2021) में दिनांक 12.06.2023** को निर्णीत किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर में पहले से

प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया और यह तर्क दिया कि दिनांक 13.10.2018 का आदेश पूर्ण पीठ (Full Court) को संदर्भित किए बिना पारित किया गया था, जो कि नियम 4(C) के प्रावधान और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा नियम, 2007 के नियम 4 (O) के विरुद्ध है। अतः, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि रिट याचिका को स्वीकार किया जाए और उन्हें पूर्ण वेतन (Full Backwages) के साथ सेवा में पुनः बहाल किया जाए।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि सेवा समाप्ति के आदेश के पीछे के वास्तविक कारण का पता लगाना आवश्यक है। इस मामले में कदाचार के आरोप लगाए गए थे और सत्यता की जांच के लिए एक प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) की गई थी, जो कि कोई औपचारिक विभागीय जांच (Departmental Enquiry Proceeding) नहीं थी। हालांकि, याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने का आदेश इसी प्रारंभिक जांच के आधार पर पारित कर दिया गया। विवादित सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 24.10.2018 ठोस आधारों पर नहीं टिका है, बल्कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में याचिकाकर्ता के प्रदर्शन के पूर्वाग्रही मूल्यांकन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, यह एक गुमनाम शिकायत पर आधारित है, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं था और न ही रजिस्ट्रार सतर्कता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की निरीक्षण रिपोर्ट में कोई ठोस सामग्री थी। विवादित सेवा समाप्ति आदेश दंडात्मक (Punitive) प्रकृति का है और बिना किसी विधिवत जांच के पारित किया गया है, जिससे यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन करता है। अतः, सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 24.10.2018 कलंकपूर्ण (Stigmatic) और दंडात्मक (Punitive) है, जिसे न्याय के हित में इस माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया: **राजस्थान उच्च**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय बनाम रमेश चंद पालीवाल {1998 (3) SCC 72}, राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम वेद प्रिया एवं अन्य {(2020) SCC Online SC 337}, डॉ. विजयकुमारन C.P.V. बनाम केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल एवं अन्य {(2020) 12 SCC 426}, रत्नेश कुमार चौधरी बनाम इंदिरा गांधी मेडिकल साइंसेज संस्थान {2015 (15) SCC 151}, बिहार राज्य बनाम गोपी किशोर प्रसाद {AIR (SC) 1960 – 0- 689}, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज बहादुर सिंह एवं अन्य {1998 (8) SCC 685}, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बलवंत रेगुलर मोटर सर्विसेज {AIR (SC) 1969 329}, पटना उच्च न्यायालय का निर्णय - सुनील कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य {सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8306/2020}, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय: गणेश राम बर्मन बनाम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य {WPS No. 825/2017}, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बनाम गणेश राम बर्मन {W.A. No. 281/2022} आकांक्षा भारद्वाज बनाम छत्तीसगढ़ राज्य {WP(S) 2206/2017}, कृष्ण कुमार कोसारिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य {W.A. No. 450/2021}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा (probation) की अवधि को बढ़ाया नहीं गया था। इसलिए, परिवीक्षा की अवधि न बढ़ाया जाना सेवा समाप्ति की परिभाषा में नहीं आता है, जैसा कि नियम 10 के उप-नियम 8(क) की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है। अतः, यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के तहत दंड (Penalty) की श्रेणी में नहीं आता, जिसके कारण नियमित विभागीय जांच (Departmental Inquiry) की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने समानता (parity) का दावा इस आधार पर किया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **गणेश राम बर्मन (supra)** के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार उसे भी वही लाभ मिलना चाहिए।

लेकिन, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में वास्तविक तथ्यों एवं बाद की घटनाओं को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि पूर्ण पीठ (Full Court) पहले ही उच्च न्यायालय को सेवा समाप्ति की कार्रवाई की सिफारिश कर चुकी थी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिका अत्यधिक विलंब और लापरवाही (Delay and Latches) से ग्रस्त है, क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवा 10.07.2018 को समाप्त कर दी गई थी, जबकि उसने यह याचिका नवंबर 2022 में दायर की। सेवा समाप्ति के चार साल बाद याचिका दायर करने के कारण इसे केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

8. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, न्यायालय द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

1. क्या विलंब और शिथिलता के कारण यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि देरी से न्यायसंगत अधिकार प्रभावित होता है और समान रूप से स्थित व्यक्तियों को समान लाभ प्राप्त करने से वंचित कर सकता है?
2. क्या 10.07.2018 और 24.10.2018 की सेवा समाप्ति का आदेश इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए और क्या याचिकाकर्ता को पुनः नियुक्ति के साथ परिणामी लाभ प्राप्त करने का अधिकार है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>बिंदु संख्या 1:-</u>

9. यह निर्विवाद तथ्य है कि सेवा समाप्ति 10.07.2018 और 24.10.2018 को हुई और याचिका नवंबर 2022 में दायर की गई। प्रारंभ में, याचिकाकर्ता ने यह रुख अपनाया कि याचिका दाखिल करने में कोई देरी नहीं हुई है, लेकिन बाद में उसने प्रत्युत्तर दाखिल कर समानता के सिद्धांत (similarly situated persons should be treated similarly) के आधार पर समान लाभ का दावा किया। इस बिंदु को स्पष्ट करने

के लिए, यह न्यायालय पहले विलंब के प्रभाव को संबोधित करना आवश्यक समझता है, क्योंकि अनुच्छेद **226** के तहत इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी ऐसे व्यक्ति को असाधारण राहत प्रदान नहीं कर सकता, जो अत्यधिक विलंब के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। रिट याचिका दायर करने में देरी के प्रभाव पर सर्वोच्च न्यायालय ने **1975 (1) SCC 152** के **P.S. Sadasivaswamy बनाम तमिलनाडु राज्य** मामले में विचार किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है :-

" किसी जूनियर को उसके पद पर पदोन्नत करने के आदेश से व्यथित व्यक्ति को ऐसी पदोन्नति के कम से कम छह महीने या अधिकतम एक वर्ष के भीतर न्यायालय से संपर्क करना चाहिए । ऐसा नहीं है कि न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई सीमा अवधि है और न ही ऐसा कभी हो सकता है कि न्यायालय एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद किसी मामले में हस्तक्षेप न कर सकें । लेकिन न्यायालयों के लिए यह विवेक का एक अच्छा और बुद्धिमानी भरा प्रयोग होता कि वे अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से उन व्यक्तियों के मामले में मना कर दें जो राहत के लिए शीघ्रता से न्यायालय से संपर्क नहीं करते हैं और जो खड़े होकर चीजों को होने देते हैं और फिर न्यायालय में जाकर पुराने दावे पेश करते हैं और तय मामलों को उलझाने की कोशिश करते हैं इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका को समय रहते खारिज कर दिया जाना चाहिए था । यह न्यायालय के काम में बाधा डालता है और वैध शिकायतों पर विचार करने में न्यायालय के काम को बाधित करता है । यह उसका सामान्य काम है । हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका और अपील को खारिज करके सही किया है । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **त्रिदीप कुमार डिंगल और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य {(2009) 1 SCC 768}** मामले में, पैरा 56 और 57 में निम्नलिखित व्याख्या की :-

> 56. हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। यह निर्विवाद सत्य है कि मौलिक अधिकार को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 32, 226, 227 और 136 के तहत विवेकाधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, यह न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। उनमें से एक यह है कि याचिकाकर्ता ने रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में कितना विलंब किया है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि रिट जारी करने की शक्ति न्यायालय का विवेकाधिकार है, और अनुच्छेद 32 या 226 के तहत राहत प्रदान करने से इनकार करने का एक आधार याचिकाकर्ता की विलंब और शिथिलता (delay and laches) हो सकता है।
>
> 57. यदि याचिकाकर्ता रिट न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू करना चाहता है, तो उसे यथासंभव शीघ्र न्यायालय में आना चाहिए। रिट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अत्यधिक देरी वास्तव में ऐसे विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने का एक अच्छा आधार होगी। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य बासी दावों को पुनर्जीवित करने और उन मामलों को दोबारा उठाने को प्रोत्साहित नहीं करना है जो पहले ही निपटाए जा चुके हैं या सुलझाए जा चुके हैं, या जहाँ इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो चुके हैं [देखें: राज्य बनाम एम.पी. एवं अन्य बनाम भैलाल भाई, (1964) 6 SCR 261; मून मिल्स बनाम इंडस्ट्रियल कोर्ट, बॉम्बे, AIR 1967 SC 1450; भूप सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1992) 2 SCR 969]। यह सिद्धांत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामलों में भी लागू होता है [देखें: त्रिलोचनंद मोतीचंद बनाम एच.बी. मुंशी, (1969) 1 SCC 110; दुर्गा प्रसाद बनाम मुख्य नियंत्रक, (1969) 1 SCC 185; रवींद्रनाथ बोस बनाम भारत संघ, (1970) 1 SCC 84]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पुनः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तराखंड राज्य बनाम शिवचरण सिंह भंडारी और अन्य {(2013) 12 SCC 179}** मामले में, पैराग्राफ 23, 24, 25, 26 और 28 में निम्नलिखित निर्णय दिया :-

> 23. तमिलनाडु राज्य बनाम शेषाचलम [(2007) 10 SCC 137] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा लाभ देने में देरी और शिथिलता के आधार पर समानता के सिद्धांत की जांच करते हुए यह निर्णय दिया :-
>
> 12. ".....केवल अभ्यावेदन (representations) दाखिल करने से ही सीमाओं की अवधि नहीं बचाई जा सकती। देरी या शिथिलता यह तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि क्या किसी आवेदक का दावा विचारणीय है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने देरी की है, तो वह उन लाभों से वंचित हो सकता है जो अन्य कर्मचारियों को प्रदान किए गए हैं। इस स्थिति में, संविधान का अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा क्योंकि कानून सतर्क और जागरूक व्यक्तियों के पक्ष में झुकता है।"
>
> 24. यह निर्विवाद सत्य है कि पदोन्नति का दावा समानता और न्यायसंगतता (equity) के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इस प्रकार की राहत उचित समय सीमा के भीतर मांगी जानी चाहिए। यह सिद्धांत गुलाम रसूल लोन बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (2009) 15 SCC 321 में स्पष्ट किया गया है।
>
> 25. नई दिल्ली नगर परिषद बनाम पान सिंह [(2007) 9 SCC 278] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दाखिल करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी सामान्य रूप से रिट याचिका उचित समय के भीतर दायर की जानी चाहिए। उक्त मामले में, याचिकाकर्ताओं ने 17 वर्षों के बाद याचिका दाखिल की थी, और न्यायालय ने देरी व शिथिलता को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया।
>
> 26. P.S. सदाशिवास्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य [(1975) 1 SCC 152] मामले में यह स्थापित किया गया कि यदि कोई कर्मचारी अपने कनिष्ठ की पदोन्नति को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चुनौती देना चाहता है, तो उसे कम से कम छह महीने या अधिकतम एक वर्ष के भीतर न्यायालय का रुख करना चाहिए। हालाँकि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय की शक्ति पर कोई समय-सीमा लागू नहीं होती, फिर भी यह न्यायिक विवेक का एक उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग होगा कि जो व्यक्ति समय पर राहत नहीं मांगता, उसे असाधारण शक्ति का लाभ न दिया जाए। जो व्यक्ति चुपचाप स्थिति को सहता रहता है और फिर वर्षों बाद न्यायालय में आकर पुराने मामलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है, उसे राहत नहीं दी जानी चाहिए।

28. देरी और शिथिलता को अनदेखा कर राहत देना सभी स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा, और यह न्यायालय के विवेकाधिकार के दायरे में भी नहीं आएगा। हालाँकि, यह सिद्धांत उन मामलों पर लागू नहीं हो सकता जहाँ कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। लेकिन पुराने पदोन्नति संबंधी दावों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और इस प्रकार की याचिका न तो ट्रिब्यूनल में स्वीकार्य होनी चाहिए और न ही उच्च न्यायालय द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः **रुशीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर नगर निगम** { } के मामले में निम्न अनुच्छेदों में निर्णय दिया है:–

10. हालाँकि, कानून निरंतर उत्पन्न होने वाले कारणों (continuing cause of action) को मान्यता देता है, जो वेतन या पेंशन जैसे मामलों में लागू होता है। M.R. गुप्ता बनाम भारत संघ [(1995) 5 SCC 628] में यह निर्धारित किया गया कि जब तक कर्मचारी सेवा में रहता है, हर महीने गलत वेतन निर्धारण के कारण नया कारण उत्पन्न होता रहेगा। यदि कर्मचारी का दावा मेरिट पर सही पाया जाता है, तो उसे सही वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए। हालाँकि, पिछली अवधि के बकाया वेतन की वसूली में समय-सीमा लागू हो सकती है। लेकिन, इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया जाए। **11.** इसी सिद्धांत पर भारत संघ बनाम तारसेम सिंह में भी विचार किया गया, जहाँ शिव दास बनाम भारत संघ और अन्य 12 के निर्णय का उल्लेख करते हुए बाद के निर्णय से निम्नलिखित अंश उद्धृत किए :- "8... उच्च न्यायालय

आमतौर पर अत्यधिक विलंबित याचिका को स्वीकार नहीं करता क्योंकि इससे भ्रम और सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न हो सकती है तथा यह अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है। यदि अनुचित विलंब के बाद रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता है, तो यह केवल कठिनाई और असुविधा ही नहीं बल्कि तीसरे पक्ष पर अन्याय भी कर सकता है। यह उल्लेख किया गया था कि जब रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया जाता है, तो अस्पष्टीकृत देरी के साथ-साथ इस बीच तीसरे पक्ष के अधिकारों का सृजन एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो उच्च न्यायालय को यह निर्णय लेने में प्रभावित करता है कि क्या इस क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाए या नहीं।"

10. पेंशन के मामले में हर महीने नया कारण उत्पन्न होता है, लेकिन यह याचिका दाखिल करने में अनावश्यक देरी को नज़रअंदाज करने का आधार नहीं बन सकता। यदि याचिका तीन वर्षों से अधिक की देरी के बाद दायर की गई है, तो न्यायालय इसे अस्वीकार कर सकता है या इसे तीन वर्षों की उचित अवधि तक सीमित कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः मृन्मय मैती बनाम चंदा कोले और अन्य [2024 (4) SCR 506] मामले में पैराग्राफ 9, 10, 11 और 13 में निम्नलिखित निर्णय दिया :-

9. उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने और वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्यों के अवलोकन के बाद, हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि रिट याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए था या दूसरे शब्दों में रिट याचिका को देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। एक आवेदक जो अदालत में देरी से पहुंचता है या दूसरे शब्दों में अपने अधिकारों के बारे में काफी समय तक सोता रहता है, अपनी गहरी नींद से जागता है, उसे रिट अदालतों द्वारा असाधारण राहत नहीं दी जानी चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार माना है कि देरी से न्यायसंगतता खत्म हो जाती है। देरी या लापरवाही उन कारकों में से एक है जिसे उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय

ध्यान में रखना चाहिए। किसी मामले में, उच्च न्यायालय अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है, यदि आवेदक की ओर से अपने अधिकार का दावा करने में ढिलाई के कारण वाद का कारण समाप्त हो गया हो और बाद में वाद के समाप्त हो चुके कारण को पुनः प्रज्वलित करने का प्रयास किया गया हो।

10. विवेकाधिकार का प्रयोग सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। यदि रिट न्यायालय में याचिका दायर करने में हुई देरी का ऐसा स्पष्टीकरण दिया जाता है जो न्यायालय के विवेक को प्रभावित करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी पक्ष यह नहीं कह सकता कि हमेशा के लिए देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता। असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू करने के कई कारण हो सकते हैं, और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसे किसी निश्चित नियम या गणितीय सटीकता के साथ नहीं बांधा जा सकता। रिट न्यायालय द्वारा किया गया अंतिम विवेकाधिकार उन तथ्यों पर निर्भर करता है जिन्हें उसे परखना होता है या जिन परिस्थितियों में तथ्यों ने आकार लिया होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. रिट याचिका दायर करने के लिए कोई निश्चित सीमा अवधि निर्धारित नहीं है। हालांकि, जब रिट न्यायालय का असाधारण क्षेत्राधिकार लागू किया जाता है, तो यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या इसे उचित समय के भीतर लागू किया गया है। केवल स्मारिका प्रस्तुत करने से मृत कारण को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता या उस कारण को फिर से जीवंत नहीं किया जा सकता जो स्वाभाविक रूप से समाप्त हो चुका हो। ऐसी परिस्थितियों में केवल देरी और लापरवाही के आधार पर अपील को खारिज किया जाना चाहिए या याचिकाकर्ता को अस्वीकार किया जाना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता देरी और लापरवाही का दोषी है, तो उच्च न्यायालय को केवल इसी आधार पर याचिका खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि रिट न्यायालय को ऐसे निष्क्रिय याचिकाकर्ताओं को उनके स्वयं के गलत कार्यों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सच है कि मौलिक अधिकारों को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का उपयोग करते समय, उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा रिट न्यायालय में देरी और लापरवाही को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए।

13. देरी और लापरवाही के कारण विवेकाधीन राहत प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, इस पहलू को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टी.टी. मुरली बाबू, (2014) 4 एससीसी 108 के मामले में यह निर्णय दिया है:

> "16. देरी और शिथिलता के सिद्धांत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रिट अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो स्पष्टीकरण याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह उचित और स्वीकार्य है। अदालत को यह याद रखना चाहिए कि यह असाधारण और न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रही है। न्यायालय के रूप में इसका कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के, अपने आराम या इच्छाओं के अनुसार अदालत का रुख करता है, तो अदालत को यह जांचने का कानूनी दायित्व होता है कि क्या देरी के बाद इस मामले को स्वीकार किया जाए या नहीं। देरी समानता के रास्ते में आ सकती है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में देरी और शिथिलता विनाशकारी नहीं हो सकती, लेकिन अधिकांश मामलों में न्यायालय के द्वार खटखटाने वाले वादकारी के लिए देरी एक विनाशकारी कारक बन सकती है। देरी वादकारी की निष्क्रियता और अकर्मण्यता को दर्शाती है, जो बुनियादी सिद्धांतों को भूल चुका होता है, अर्थात् 'टालमटोल समय का सबसे बड़ा चोर है'। दूसरा, कानून किसी को सोने और फिर आलसी की तरह उठने की अनुमति नहीं देता। देरी खतरनाक होती है और वाद को नुकसान पहुंचाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता जो एक न्यायिक अधिकारी था, ने सेवा से समाप्ति के 4 वर्ष बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन विलंब से याचिका दायर करने के लिए न्यायिक अधिकारी श्री गणेश राम बर्मन के आधार पर समान राहत का दावा किया है, जिन्होंने उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्य द्वारा पारित समाप्ति के आदेश से बिना किसी देरी के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उनका डब्ल्यूपीएस नंबर 825/2017 है

और उन्हें 06.02.2017 को सेवा से हटा दिया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि वह श्री बर्मन के समान है और उसी राहत को पाने का हकदार है, जो उसे इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ और माननीय खंडपीठ द्वारा दी गई है। हालांकि बाद में, श्री गणेश राम बर्मन को फिर से उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है, इसलिए रिट याचिका देरी और देरी के कारण खारिज करने योग्य है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ बिंदु संख्या 1 का उत्तर दिया गया है, परिणामस्वरूप याचिका को देरी और देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

दूसरे मुद्दे पर विचार

16. चूंकि इस कोर्ट ने याचिका को देरी और शिथिलता के आधार पर अस्वीकृत कर दिया है, इसलिए दूसरे मुद्दे पर विचार की आवश्यकता नहीं है, और इसे खुला छोड़ दिया गया है।

17. नतीजतन, याचिका को देरी और शिथिलता के कारण अस्वीकृत कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही

(नरेन्द्र कुमार व्यास)
जज

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।